



स. एन-16/1/Tripura/2017-योविति



दिनांक : 24.09.2021

२४

परिपत्र
Circular

विषय :- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(3) के अंतर्गत त्रिपुरा राज्य के धलाई, गोमती, उत्तर त्रिपुरा एवं सिपाहीजाला जिलों के सम्पूर्ण क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का कार्यान्वयन संबंधी।

Sub: Implementation of ESI Act,1948 under Section 1(3) in the entire area of Dhalai, Gomati, North Tripura, & Sepahijala districts in the State of Tripura - reg.

उपरोक्त विषय पर मंत्रालय से प्राप्त अधिसूचना स का.आ. 3952(अ) दिनांक 23 सितम्बर 2021 की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(3) के अंतर्गत त्रिपुरा राज्य के धलाई, गोमती, उत्तर त्रिपुरा एवं सिपाहीजाला जिलों के सम्पूर्ण क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का कार्यान्वयन दिनांक 01.10.2021 से प्रभावी होगा।

Enclosed herewith is a copy of the notification no. S.O. 3952(E) dated 23rd September, 2021 received from Ministry of Labour & Employment for information.

Implementation of ESI Act,1948 under Section 1(3) in the entire area of Dhalai, Gomati, North Tripura, & Sepahijala districts in the State of Tripura shall be effective from 01.10.2021.

संलग्न - यथोपरि

(पी आर सिंह)

उप निदेशक (योजना व विकास)

सेवा में,

- क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, असम को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- वेबसाइट सामग्री प्रबंधन, मुख्यालय से अनुरोध है कि इस नोट को वेबसाइट पर अपलोड करें।



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092021-229906
CG-DL-E-23092021-229906

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3618]

No. 3618]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 23, 2021/आश्विन 1, 1943

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 23, 2021/ASVINA 1, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2021

का.आ. 3952(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अक्टूबर, 2021 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध त्रिपुरा राज्य के धलाई, गोमती, उत्तर त्रिपुरा और सिपाहीजाला जिलों के सभी क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे अर्थात्,—

- (i) अध्याय 4 की धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41, धारा 42, धारा 43 और धारा 45अ से धारा 45ज तक;
- (ii) अध्याय 5 की धारा 46 से धारा 73 तक; और
- (iii) अध्याय 6 की धारा 74, धारा 75, धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4) तक, धारा 80, धारा 82 और धारा 83।

[फा. सं. एस-38013 / 07 / 2021—एस.एस.I]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2021

S.O. 3952(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the **1st day of October, 2021**, as the date on which the provisions of the said Act, namely,-

- (i) sections 38, 39, 40, 41, 42, 43 and sections 45A to 45H of Chapter IV;
- (ii) sections 46 to 73 of Chapter V; and
- (iii) sections 74, 75, sub-sections (2) to (4) of section 76, 80, 82 and 83 of Chapter VI,

shall come into force in all the areas of Dhalai, Gomati, North Tripura and Sepahijala district, in the State of Tripura.

[F. No. S-38013/07/2021-SS.I]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.